उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-136/2016/आर-1071/26-3-2016-4(20)/2016
लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2016
कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत संलग्नक में अंकित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत योजनावार उनके सम्मुख अंकित मदों में आयोजनागत पक्ष में रूपया-150985/- हजार (रूपये पन्द्रह करोड़ नौ लाख पचासी हजार मात्र) की बचत को एतदद्वारा वित्त विभाग को समर्पित किया जाता है।
संलग्नक-यथोक्त

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3
संख्या- ई-3-656/दस-2016
लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2016

प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं महालेखाकार (आडिट) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत संलग्नक में अंकित विवरण के अनुसार लेखाशीर्षक के अन्तर्गत योजनावार उनके सम्मुख अंकित मदों में आयोजनागत पक्ष की रूपया-150985/-हजार (रूपये पन्द्रह करोड़ नौ लाख पचासी हजार मात्र) की बचत की धनराशि वित्त विभाग में पुर्नग्रहीत कर ली गयी है।

आज्ञा से,

राम सुमेर
अनुसचिव

पृ0सं-136/2016/आर-1071 (1)/26-3-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0लखनऊ।
2-निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
3-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
4-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय ज्ञाप संख्या-136../2016/आर-1071./26-3-2016-4(20)/2016, दिनांक-31.03.2016 का संलग्नक

वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष समर्पण का विवरण

विभाग का नामः-समाज कल्याण (निदेशालय जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ) अनुदान संख्या-81 आयोजनागत

(रू0 हजार में)

मुख्य लेखाशीर्षक की प्राथमिक इकाइयाँ	आय-व्ययक प्राविधान 2015-16	समर्पित धनराशि 2015-16	समर्पण का कारण
1 2	3	4	5
मुख्य लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण -आयोजनागत			
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
0102-जनजाति विकास पर शोध कार्य हेतु छात्रवृत्ति (के0100/रा.00-के.)			
21-छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन	100	100	केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त न होने के कारण प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति निर्गत नही हो पायी।
0103-अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं के लिए मेरिट उच्चीकृत योजना (के0100/रा.00-के.)			
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	234	234	केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त न होने के कारण प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति निर्गत नही हो पायी।
0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिए विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुदान			
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	20000	4432	आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण बचत हुई।
42-अन्य व्यय	5230	5230	प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में बचत हुई।
योग 0104 :-	25230	9662	
0105-पाकेट प्लान तथा प्रीमिटिव ग्रुप्स के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों का संचालन हेतु अनुदान			
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	9434	4717	आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण बचत हुई।
0106-बुक्सा आदिम जनजाति विकास परियोजना नजीबाबाद बिजनौर को अनुदान (100: केन्द्र पुरोनिधारित)			
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	1320	660	आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण बचत हुई।
0107-थिरुवरी आबादी वाली अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (100: केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)			
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	8000	4310	आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण बचत हुई।
0108-अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनायें। (के0 50/रा0-50)			
01-वेतन	3559	3559	केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त न होने के कारण प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति निर्गत नही हो पायी।
03-मंहगाई भत्ता	4271	4271	तदैव
04-यात्रा व्यय	60	60	तदैव
06-अन्य भत्ते	644	644	तदैव
07-मानदेय	12	12	तदैव
08-कार्यालय व्यय	85	85	तदैव
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	100	100	तदैव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

12-कार्यालय फर्नीचर और उपकरण	352	352	तदैव
51-वर्दी व्यय	3	3	तदैव
योग-0108	9086	9086	
0109-अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम (कक्षा 9 व 10) छात्रवृत्ति योजना 100: केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)			
21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	8500	2444	आवश्यकतानुसार मांग न होने के कारण स्वीकृति निर्गत नही हो पायी जिससे बचत हुयी।
योग 01 :-	61904	31213	
05-एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का कियान्वयन			
10-जलकर/जलप्रभार	5	5	पदों के सृजन न होने एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में बचत हुई।
15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	10	10	आवश्यकता न होने के कारण बचत हुई।
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	10	10	आवश्यकता न होने के कारण बचत हुई।
19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	5	5	आवश्यकता न पड़ने के कारण बचत हुई।
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	3970	705	प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में बचत हुई।
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10	10	आवश्यकता न पड़ने के कारण बचत हुई।
योग 05 :-	4010	745	
07-प्रदेश में निवास करने वाली ऐसी जनजाति जो इस समय अनु0 जातियों की सूची में शामिल है के लिए अनुदान			
01-कृषि/बागवानी हेतु अनुदान			
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	500	400	मांग के अभाव में एवं आवश्यकता न पड़ने के कारण बचत हुई।
02-कुटीर उद्योग हेतु अनुदान			
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	500	500	मांग के अभाव में एवं आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
योग 07 :-	1000	900	
10-अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु बुक बैंक योजनान्तर्गत निःशुल्क पाठय पुस्तकों को उपलब्ध कराने हेतु अनुदान			
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	500	500	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
11-अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तीय सहायता			
1101-कक्षा 9 व 10 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता			
21-छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन	1	1	आवश्यकता न होने के कारण बचत हुई।
1102-कक्षा 6 से 8 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता			
21-छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन	1	1	आवश्यकता न होने के कारण बचत हुई।
1103-कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता			
21-छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन	1	1	आवश्यकता न होने के कारण बचत हुई।
योग 11 :-	3	3	
12-अनुसूचित जनजाति के छात्राओं हेतु यूनीफार्म एवं बाइसकिल अनुदान			
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	8000	4689	प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में तथा आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
18-अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवार की बालिकाओं के विवाह हेतु अनुदान			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	9000	3590	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
योग - 796:-	84417	41640	
योग 02 :-	84417	41640	
योग - 2225 :-	84417	41640	
मुख्य लेखाशीर्षक की प्राथमिक इकाइयाँ	आय-व्ययक प्राविधान 2015-16	समर्पित धनराशि 2015-16	समर्पण का कारण
1	2	3	4
पूँजी लेखा			
मुख्य लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
0102-अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण (के.50: भारत सरकार का अंश)			
24- वृहत निर्माण कार्य	27446	13746	केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त न होने के कारण स्वीकृति निर्गत नही हो पायी जिससे बचत हुई।
0103-अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण (50: भा0स0)			
24- वृहत निर्माण कार्य	10230	10230	केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त न होने के कारण प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति निर्गत नही हो पायी।
0104-संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिए जिला इकाइयों के संचालन हेतु अनुदान			
24- वृहत निर्माण कार्य	95890	45342	केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त न होने के कारण स्वीकृति निर्गत नही हो पायी जिससे बचत हुई।
0105-अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धिति विद्यालय (के. 100: रा0)			
24- वृहत निर्माण कार्य	25000	25000	केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त न होने के कारण प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति निर्गत नही हो पायी।
0107-नक्सल प्रभावित जनपदों में छात्रावास भवन निर्माण (के. 100: रा0)			
24- वृहत निर्माण कार्य	12055	12055	केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त न होने के कारण प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति निर्गत नही हो पायी।
0108-जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के अंन्तर्गत निर्माण कार्य (के. 100: रा0)			
24- वृहत निर्माण कार्य	34886	46	प्रशासनिक स्वीकृति न मिलने के कारण बचत हुई।
योग : 01:-	205507	106419	
05-अनुसूचित जनजातियों के लिए बालक एवं बालिकाओं के लिये छात्रावास का निर्माण			
24- वृहत निर्माण कार्य	2919	2919	केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त न होने के कारण प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति निर्गत नही हो पायी।
06-अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय			
25- लघु निर्माण	440	1	प्रशासनिक स्वीकृति न मिलने के कारण बचत हुई।
26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1425	6	प्रशासनिक स्वीकृति न मिलने के कारण बचत हुई।
योग : 796:-	210291	109345	
योग : 02:-	210291	109345	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

योगः 4225:-	210291	109345	
महायोग-	84417+ 210291= 294704	41640+ 109345= 150985	

(रूपया पन्द्रह करोड़ नौ लाख पचासी हजार मात्र)

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।